

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा नं० - 143/2022
जीसीएमएस नं० 2022/600
धन्नाराम

दर्ज दिनांक: 12.04.2022
निर्णय दिनांक -
परसाराम

बनाम

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

अंतिम निर्णय

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2016 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांक/भू0अ0/2025/396 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा एक बिन्दु अंकित किया गया है कि "विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्तों में पक्का निर्माण है, जिसको वादीगण एवं प्रतिवादीगण तोड़ने के लिए सहमत है। अतः निर्णय की पालना से पूर्व पक्षकारान को पक्का निर्माण रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि से हटाने हेतु पाबन्द किया जावे"। अतः उक्त बिन्दु की पालना पश्चात् ही निर्णय की पालना किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/भू0अ0/2025/396 दिनांक 10.02.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक क्रमांक/भू0अ0/2025/396 दिनांक 10.02.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। विभाजन प्रस्ताव में अंकित बिन्दु "विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्तों में पक्का निर्माण है, जिसको वादीगण एवं प्रतिवादीगण तोड़ने के लिए सहमत है। अतः निर्णय की पालना से पूर्व पक्षकारान को पक्का निर्माण रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि से हटाने हेतु पाबन्द किया जावे" की पालना पश्चात् की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा नं० - 143/2022
जीसीएमएस न० 2022/600
धन्नाराम

बनाम


दर्ज दिनांक: 12.04.2022
निर्णय दिनांक -
परसाराम

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान भिनजानिब मुदई वल्द ...-...भिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कमांक/भू0अ0/2025/396 दिनांक 10.02.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक कमांक/भू0अ0/2025/396 दिनांक 10.02.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। विभाजन प्रस्ताव में अंकित बिन्दु "विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ते में पक्का निर्माण है, जिसको वादीगण एवं प्रतिवादीगण तोड़ने के लिए सहमत है। अतः निर्णय की पालना से पूर्व पक्षकारान को पक्का निर्माण रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि से हटाने हेतु पाबन्द किया जावे" की पालना पश्चात् की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नूत नक्शों में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....निल..... खर्चा इस
मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....
..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन को जारी की
गई।


(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी